न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस

वाद पत्र संख्या– 92/2023

लालाराम दत्तक पुत्र मालूराम जाति अहीर नि0 लोहरवाडा तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र खेता
2. रामनाथ पुत्र खेता
3. पुरूषोत्तम पुत्र मंगला
4. रामनिवास पुत्र मंगला
5. रामचन्द्र पुत्र मंगला
6. रामनारायण पुत्र मंगला
7. हनुमान पुत्र भैरू
8. बोदू पुत्र भैरू
9. मनमोहन पुत्र लादू
10. गुलाबदेवी पत्नि लादू

    समस्त जाति अहीर निवासी लोहरवाडा तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

11. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 188, 88 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955</u>

उपस्थितः– 1. श्री हनुमान जाखड, धिवक्ता वास्ते वादी।
2. श्री अजय सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1लगा0 10

निर्णय　　　　　　दिनांकः–13.06.2024

वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 188, 88 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955 इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी ख0न0 209 रकबा 0.0759 है0 गै0मु0चाह (पुराना रकबा 6 बिस्वा) वाकै ग्राम लोहरवाड तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसमे खातेदार लादू पुत्र चूना 1/4 हिस्सा व खातेदार भैरू, रामनाथ, गोपाल, मंगला, पुत्र स्व0 खेता जाति अहीर निवासी लोहरवाड तहसील जोबनेर का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे दर्ज था।

लादू पुत्र चूना ने अपना 1/4 हिस्सा, सम्पूर्ण व खातेदार भैरू, रामनाथ, गोपाल, मंगला पुत्र स्व0 खेता जाति अहीर निवासी लोहरवाडा तह0 जोबनेर का संयुक्त रूप से अपना सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा वादी को जरिये रजि0बेचान पत्र दिनांक 30/5/2001 को बेचान कर दिया था जो बेचान पत्र उप पंजीयक कि0 रेनवाल के यहां वादी के पक्ष मे पंजीबद्व करवा दिया था। और वादी को मौके पर कब्जा दे दिया था। जो उक्त आराजीयात कुंआ मय [illegible] मोटर पम्पिंग सैट सहित वादी का विक्रय की गई थी। तब से वादी [illegible] उक्त गै0मु0[illegible] आराजीयात पर काबिज

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वादी का घोषणा करवाने का अधिकारी है कि खसरा नं0 209 रकबा 0.0759 है0 गै0मु0 चाह पुराना रकबा 6 बिस्वा वाकै ग्राम लोहरवाडा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/16–1/16, प्रतिवादी संख्या 3लगा0 6 का 1/64–1/64, प्रतिवादी संख्या 7,8 के पिता स्व0 भैरू के नाम दर्ज 1/16 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 9, 10 के पिता स्व0 लादू के दर्ज 1/4 हिस्से से उनका नाम हजफ किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। शेष हिस्सा 1/2 वंशीधार पुत्र नारायण यथावत रखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि0 एडी0 नोटिस की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 10 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर इक बालिया जवाब दावा पेश किया जाकर वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया। वादी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेज पेश किये। जिनमें जमीन की जमाबंदी प्रदर्श 1, बेचान पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श 2(ए) पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दौहरान किया तथा राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 209 में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

वाद पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र, वादी साक्ष्य तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

क्रियात्मक आदेश

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगा0 10 डिक्री किया जाकर आराजी ख0न0 209 रकबा 0.0759 है0 गै0मु0 चाह पुराना रकबा 6 बिस्वा वाकै ग्राम लोहरवाडा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/16–1/16, प्रतिवादी संख्या 3लगा0 6 का 1/64–1/64, प्रतिवादी संख्या 7, 8 के पिता स्व0 भैरू के नाम दर्ज 1/16 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 9, 10 के पिता स्व0 लादू के दर्ज 1/4 हिस्से से उनका नाम हजफ किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा 1/2 वंशीधार पुत्र नारायण यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)